

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
सं० सं०-०६/निदे० (थरुहट)-२२-०१/२०२१-३४

प्रेषक,

प्रियंका रानी, भा० प्र० से०

निदेशक

सेवा में,

जिला कल्याण पदाधिकारी,

प० चम्पारण, बेतिया।

विषय:- वित्तीय वर्ष २०२६-२७ के लिए राज्य स्कीम के तहत समेकित थरुहट विकास अभिकरण के पदस्थापित पदाधिकारी एवं कर्मियों के लिए कुल ११.५५ लाख (ग्यारह लाख पचपन हजार रु०) मात्र सहायक अनुदान-वेतन मद की राशि का आवंटन। पटना, दिनांक-१२/०५/२०२६

आदेश-स्वीकृत

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-.... दिनांक-१२/०५/२०२६ के द्वारा वित्तीय २०२६-२७ के तहत राज्य स्कीम के तहत समेकित थरुहट विकास अभिकरण, के अन्तर्गत पदस्थापित कर्मियों के स्थापना व्यय वहन हेतु सहायक अनुदान वेतन मद में ११.५५ लाख (ग्यारह लाख पचपन हजार रु०) मात्र की राशि की स्वीकृति दी गई थी। उक्त स्वीकृत्यादेश के आलोक में कुल ११.५५ लाख (ग्यारह लाख पचपन हजार रु०) मात्र की राशि सहायक अनुदान वेतन मद में आवंटित की जाती है।

२. आवंटित राशि बजट मुख्यशीर्ष-“२२२५-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-७९६-जनजातीय क्षेत्र उप योजना-०१२५-थरुहट क्षेत्र विकास के प्राथमिक ईकाई ०१२५.३१०४-सहायक अनुदान-वेतन, विपत्र कोड-४४,२२२५०२७९६०१२५ के अन्तर्गत विकलनीय है।

३- इस आवंटित राशि के लिए निकासी पदाधिकारी जिला कल्याण पदाधिकारी, प० चम्पारण, बेतिया होंगे। जिला कल्याण पदाधिकारी, प० चम्पारण, बेतिया, राशि की निकासी कर आवश्यकतानुसार समेकित थरुहट विकास अभिकरण, प० चम्पारण, बेतिया के PL खाता संख्या-WCHPLA009 में उपलब्ध करायेंगे। स्वीकृत राशि का व्ययन पदाधिकारी परियोजना पदाधिकारी, समेकित थरुहट विकास अभिकरण, प० चम्पारण, बेतिया होंगे तथा इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, प० चम्पारण, बेतिया होंगे।

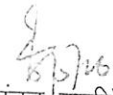
४- राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०-२५६१, दिनांक-१७-०४-१९९८, वित्त विभाग के पत्रांक-२३५/वि० दिनांक-०१.०४.२०२५ एवं समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत/अनुदेश के आलोक में किया जाएगा।

५- महालेखाकार, बिहार को इस राशि के व्यय से संबंधित अंकक्षण करने का अधिकार होगा।

६- सभी संबंधित पदाधिकारियों को इस राशि की आवंटन की सूचना दी जा रही है।

७- कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाए।

विश्वासभाजन


(प्रियंका रानी)
निदेशक

ज्ञापांक-सं०-6/निदे०(थरुहट)-22-01-2021- 38

पटना, दिनांक-12/05/2026

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर/सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/जिला पदाधिकारी, प० चम्पारण, बेतिया/अपर सचिव, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/प्रमंडलीय उप निदेशक (क०), तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर/परियोजना पदाधिकारी, समेकित थरुहट विकास अभिकरण, प० चम्पारण, बेतिया/जिला कल्याण पदाधिकारी, प० चम्पारण, बेतिया/जिला कोषागार पदाधिकारी, प० चम्पारण, बेतिया/प्रभारी पदाधिकारी, बजट शाखा, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी-8 डी०/आई०टी० मैनेजर, अनुसूचित जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक